मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

प्रशासन अनुभाग

सं.मानू/प्रशासन/एफ.61/2021-22/14 **दिनांकः 07 सितंबर, 2021**

<u>कार्यालय आदेश</u>

विषयः मानू-कोविड-19 – 30 सितंबर, 2021 तक निगरानी, नियंत्रण एवं एहतियात के लिए दिशा-निदेश के संबंध में।

संदर्भः 1. गृह मंत्रालय आदेश सं.40-3/2020-डीएम-I(ए)भारत सरकार, दिनांक 28.08.2021
2. सं.मानू/प्रशासन/एफ.06/2020-21/04 दिनांक 11.08.2021
3. दिनांक: 07.09.2021 कुलपति द्वारा अनुमोदित।

* * *

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, आदेश सं.40-3/2020-डीएम-I(ए), दिनांक 28 अगस्त, 2021, संलग्न कोविड-19 आदेश के संबंध में निगरानी, नियंत्रण एवं एहतियात के लिए दिशा-निदेश 30.09.2021 तक लागू रहेंगे।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश तथा दिशा-निदेशों के अनुसार कार्य करेगा। तथापि, संदर्भित आदेश में कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जाना है।

(क) संकायों के संकायाध्यक्ष, निदेशालयों एवं केन्द्रों के निदेशक/प्रभारी, विभागों के विभागाध्यक्ष, मॉडल स्कूल/पोलिटेकनीक/सीटीई/ ऑफ-कैम्पस के प्रधानाचार्य/प्रभारी तथा क्षेत्रीय केन्द्रों के क्षेत्रीय निदेशक/ सहायक क्षेत्रीय निदेशकों को कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना है।

(ख) इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय में ऑनलाइन अध्यापन अगले आदेश तक जारी रहेगा। हालांकि, अध्यापन स्टाफ को कार्यालय समय के दौरान अपने संबंधित विभागाध्क्षों/संकायाध्यक्षों/निदेशकों को उपलब्ध होना होगा।

(ग) विश्वविद्यालय गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की 100% उपस्थिति के साथ कार्य करेगा। अतः विश्वविद्यालय के सभी गैर-शैक्षिक कर्मचारी शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

प्रशासन अनुभाग

(घ) सभी ऑफ-कैम्पस संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करेंगे, जहाँ वे स्थित हैं।

7.9.21

प्रभारी कुलसचिव

सेवा में

सभी अध्ययन संकायों के संकायाध्यक्ष/ विभागों के विभागाध्यक्ष/ केन्द्रों एवं निदेशालय के निदेशक/ प्रधानाचार्य/ प्रभारी/ केन्द्रीय पुस्तकालय एवं अनुभाग के अध्यक्ष (शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक) मुख्यालय एवं सैटलाइट कैम्पस, क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-क्षेत्रीय केन्द्रों, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण(डीएसडब्ल्यू), कुलानुशासक एवं प्रभारी सुरक्षा, प्रोवोस्ट(बालक एवं बालिका)

प्रतिः

1.कुलपति / कुलसचिव / वित्त अधिकारी कार्यालय
2.निदेशक, सीआईटी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
3.संबंधित फाइल